

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
(वित्त एवं व्यय)  
**वित्त एवं व्यय परिपत्र सं0 31/2016**

उपाध्यक्ष, दि0वि0प्रा0, प्राधिकरण संकल्प सं0 208 दिनांक 25-02-1967 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खेल नियन्त्रण बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित मदों के संबंध में दि0वि0प्रा0 अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं:-

मद का विवरण	प्राधिकारी	संशोधित प्रत्यायोजन
वार्षिक संबद्धता शुल्क, विभिन्न टूर्नामेंटों हेतु भागीदारी शुल्क, जिम उपकरणों की खरीद, सभी खेल सामग्री जैसे बैट, बाल, पैड, टीटी और बैडमिंटन के लिए बैट/रेकेट, फुटबाल आदि, ड्रेसिंग, शूज, ट्रैक सूट आदि, टीए/डीए/परिवहन मत्तों का भुगतान / हल्की रिफ्रेशमेंट, बस/रेल किराया आदि, वीसी क्रिकेट कप, ट्रेकिंग कार्यक्रमों, वार्षिक इन्डोर गेम आदि का आयोजन अथवा कोई विविध / अप्रत्याशित व्यय	वित्त सदस्य/ अध्यक्ष (एससीवी), दि0वि0प्रा0	पूर्ण शक्तियाँ
	आयुक्त (कार्मिक)/ वी.पी.(एससीवी)	एक अवसर हेतु एक लाख रू0 तक और वार्षिक उच्चतम सीमा 10 लाख रू0
	निदेशक (एससीवी)	एक अवसर हेतु 20,000/-रू0 तक और वार्षिक उच्चतम सीमा 2 लाख रू0 तक

उक्त उल्लिखित मदों / कार्यों पर किया जाने वाला व्यय इस शर्त पर होगा कि व्यय मौजूदा बजट प्रावधानों के अनुसार हो तथा सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय राजकोष नियमों और वित्त विंग की सहमति से जारी अन्य सरकारी आदेशों की अनुपालना में हो।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं0-एफ.ई.16(35)2009/डीडीए/पार्ट/661

दिनांक: 23/11/2016

- उपाध्यक्ष के निजी सचिव को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ,
- वित्त सदस्य, अध्यक्ष (एससीवी) के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ,
- अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ,
- आयुक्त (कार्मिक) वी.पी.(एससीवी),
- निदेशक (एससीवी),
- उप निदेशक (मुख्यालय)-1,
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (आकस्मिक),
- गार्ड फाईल

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)